



सहेली के ड्राइवर ने रची थी मधु की हत्या की साजिश

- 14 फरवरी को ड्राइवर के बहाने शातिरों को भेजा था मधु के घर
- घर की भौगोलिक स्थिति की कर रखी थी रेकी
- अकेली और वृद्ध जानकर ड्राइवर ने बनाया खतरनाक मंसूबा
- शातिर उस रास्ते से दाखिल हुए जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है
- नौकरानी को दी जान से मारने की धमकी तो उसने सौंप दी चाभियां
- पुलिस ने वारदात में शामिल तीनों अभियुक्तों को दबोचा
- अभियुक्तों के पास से बड़ी मात्रा में लूट का माल बरामद
- हत्या सहित लूट की हुई थी वारदात

कानपुर। 14 फरवरी की रात को थाना स्वरूप नगर क्षेत्र के कॉनकॉर्ड अपार्टमेंट में हुई श्रीमती मधु कपूर की हत्या और घर में लूटपाट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल तीन अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से बड़ी मात्रा में घर से लूटा हुआ माल भी बरामद हुआ है।

घटनाक्रम के मुताबिक 14 फरवरी को श्रीमती मधु कपूर की हत्या और लूटपाट के सम्बंध में उनकी पुत्री श्रीमती नीरू टण्डन द्वारा दिनांक 15.02.2022 को मु0अ0सं0 22/2022 धारा 457/394/302 IPC बनाम अज्ञात अभि0गण के विरुद्ध थाना स्वरूपनगर में दर्ज कराया गया था। जिसमें नीरू टंडन ने माँ मधु कपूर की हत्या कर रुपये एवं जेवरात की लूट करने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया था। थाना स्वरूप नगर पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2022 धारा 457/394/302 IPC के सम्बन्धित अभियुक्तगणों 1. विपिन कुमार पुत्र अशोक कुमार नि0 म0नं0 104/348 तकिया पार्क सीसामऊ थाना बजरिया कानपुर नगर उम्र करीब 28 वर्ष , 2. गौतम कुमार पुत्र रंजीत कुमार नि0 104/295 तकिया पार्क सीसामऊ थाना बजरिया कानपुर नगर उम्र करीब 22 वर्ष , 3. संदीप कश्यप पुत्र लल्लू कश्यप नि0 म0नं0 28/3 कांशीराम कालोनी सनिगवाँ थाना चकेरी कानपुर नगर उम्र करीब 25 वर्ष को 05.10 बजे मोतीझील स्थित गुरु तेग बहादुर गेट थाना स्वरूपनगर कानपुर नगर से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो अपराध का मास्टरमाइंड विपिन कुमार निकला। विपिन ने बताया कि वह पेशे से वाहन चालक है और मधु कपूर की सहेली और रोटरी क्लब की सदस्य रोली मेहरोत्रा का ड्राइवर है। उन्ही के यहाँ काम करते हुए मृतका मधु कपूर से भी जान पहचान थी। घर पहले कभी कभार आता

जाता था। घर के बारे में नौकरानी सावित्री से भी जानकारी लेता रहता था। मुझे उनकी नौकरानी सावित्री से जानकारी मिली थी कि मधु कपूर को एक ड्राइवर की आवश्यकता है।

ऐसे की वारदात- दिनांक 14.02.2022 को विपिन अपने दोस्तों गौतम कुमार व संदीप कश्यप के साथ मिलकर घटना के सम्बन्ध में योजना बनाई एवं घटना को अंजाम देने की रूप रेखा तैयार कर तीनों ने गुमटी स्थित शराब के ठेके पर जाकर शराब पी। जिसके बाद घटना के 03 घण्टे पहले विपिन अपने दोस्त गौतम कुमार व संदीप को लेकर मोतीझील टैम्पो से पहुँचा वहाँ से पैदल होते हुए मधु कपूर के घर पर पहुँचा और अपने दोस्तों को मधु कपूर का फ्लैट दिखाया व फ्लैट में दाखिल होने का रास्ता भी दिखाया। चूँकि मधु कपूर मुझे पहचानती थी इसलिए हम तीनों वहाँ से वापस लौट आए। उसी दिन रात्रि लगभग 19.30 बजे अभियुक्त संदीप कश्यप व अभि० गौतम कुमार फ्लैट पर दुबारा पहुँचे व विपिन के बताए हुए रास्ते से घर में पहुँच कर दरवाजा खटखटाया अन्दर से मधु कपूर ने पूछा कौन है, तो बताया कि आपको ड्राइवर की आवश्यकता थी हम ड्राइवर हैं तो मधु कपूर ने अन्दर बुला लिया। जिसके बाद हम दोनों ने घर की नौकरानी सावित्री का हाथ पैर बाँध कर बाथरूम में बन्द किया। अभि० संदीप कश्यप द्वारा मृतका मधु कपूर का मुँह दबा कर बैग में रखे पैसे प्राप्त कर लिए हैं जेवर के लिए चाबी माँगी तो मधु कपूर द्वारा न दिए जाने पर नौकरानी सावित्री को चाकू से डराया तो उसने चाभी के बारे में बता दिया। चाबी से अलमारी खोलकर जेवर निकाल लिए इसी दौरान संदीप कश्यप द्वारा मुँह दबाने की वजह से मधु कपूर के मुँह से खून निकलने लगा और मौके पर ही मर गई। जिसके बाद अभि० संदीप कश्यप एवं गौतम कुमार वहाँ से जेवर व रूपये लेकर निकल लिए। दूसरे दिन तीनों ने गीता पार्क में इक्का होकर लूट की सम्पत्ति को आपस में बाँट लिया और लूटे हुए माल में से कुछ जेवर को दीपक पाल S/o रामनाथ पाल निवासी ग्रा० सजाटी सनिगवाँ थाना चकेरी तथा ओशो ज्वैलर्स के मालिक अरविन्द गुप्ता S/o स्व० राम औतार गुप्ता नि० बर्बा – 8 थाना बर्बा कानपुर नगर को बेचा दिया था जिससे प्राप्त रूपयों को हम लोगों ने आपस में बाँट कर खर्च कर दिये। अभियुक्तगणों को अंतर्गत धारा 457/394/302/ 411/ 120B IPC में गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. विपिन कुमार पुत्र अशोक कुमार नि० म०नं० 104/348 तकिया पार्क सीसामऊ थाना बजरिया कानपुर नगर उम्र करीब 28 वर्ष
2. गौतम कुमार पुत्र रंजीत कुमार नि० 104/295 तकिया पार्क सीसामऊ थाना बजरिया कानपुर नगर उम्र करीब 22 वर्ष
3. संदीप कश्यप पुत्र लल्लू कश्यप नि० म०नं० 28/3 कांशीराम कालोनी सनिगवाँ थाना चकेरी कानपुर नगर उम्र करीब 25 वर्ष

अभियुक्त विपिन कुमार से बरामद माल एक अदद नाजायज तमंचा मय दो कारतूस 315 बोर, एक हार पीली धातु, एक डायमण्ड लाकेट पीली धातु

अभियुक्त गौतम कुमार से बरामद माल

1. दो कारतूस 315 बोर, एक अदद माँग टीका पीली धातु, दो चूड़ी हाँथ पीली धातु
अभियुक्त संदीप कश्यप से बरामद माल एक तमंचा नाजायज 315 बोर मय दो कारतूस 315 बोर, दो अगूठी
पीली धातु लेडीज, एक चैन पीली धातु, एक जोड़ी झुमकी पीली धातु बरामद हुआ।

अभियुक्त विपिन कुमार आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 22/2022 धारा 457/394/302/411 IPC थाना स्वरूप नगर कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 132/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना स्वरूप नगर कानपुर नगर

अभियुक्त गौतम कुमार आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 22/2022 धारा 457/394/302/411 IPC थाना स्वरूप नगर कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 133/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना स्वरूप नगर कानपुर नगर
3. मु0अ0सं0 62/2019 धारा 18/20 एनडीपीएस थाना बजरिया कानपुर नगर
4. मु0अ0सं0 229/2017 धारा 147/323/336/504/506 IPC व 7 CLA ACT थाना बजरिया कानपुर नगर

अभियुक्त संदीप कश्यप आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 22/2022 धारा 457/394/302/411 IPC थाना स्वरूप नगर कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 134/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना स्वरूप नगर कानपुर नगर
3. मु0अ0सं0 172/2016 धारा 399/402/411/420 IPC थाना बाबूपुरवा कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में SHO अजय कुमार सिंह थाना बेकनगंज, निरीक्षक राज कुमार सिंह थाना बेकनगंज, निरीक्षक दुर्गा सिंह थाना स्वरूप नगर, उ0नि0 योगेन्द्र कसाना थाना स्वरूप नगर, प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 सुखराम सिंह रावत, उ0नि0 आरिफ रजा थाना बेकनगंज, उ0नि0 रविन्द्र राणा थाना बेकनगंज, हे0का0 अमित कुमार, का0 सलमान खान थाना बेकनगंज, का0 प्रदीप कुमार थाना बेकनगंज, का0 इब्रान हुसैन थाना बेकनगंज, का0 गौरव सर्विलांस सेल, का0 सुखवीर थाना स्वरूप नगर शामिल रहे।